पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 90/2017

अनवान :

जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/88 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम के नाम दर्ज 0.030 है0 में प्रतिवादी सं0 1 बजाय वादी जयसिंह खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम का नाम कलमजन कर वादी जयसिंह को 0.030 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 90/2017

अनवान :

जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि01955 व
136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी
वकील श्री राजेश बैनीवाल : प्रतिवादी सं0 1
निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलसीसर के पुराना खाता सं0 87/80 के खसरा सं0 645 की 4.0220 है0 कृषि भूमि में वादी की 3.713 है0 कृषिभूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, वर्तमान में उक्त खाता सं0 274/276 है। वादी ने अपने नाम दर्ज उपरोक्त खसरा सं0 645 में से प्रतिवादी सं0 1 को 0.030 है0 कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 14.07.2010 है0 को बेचान कर दी तथा उक्त बेचना किय 0.030 है0 कृषि भूमि कां प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम के पक्ष में नामान्तरण भी दर्ज हो गया।

वादी के नाम से ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/87 के खसरा सं0 676 की 4.7420 है0 कृषि भूमि भी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने खसरा सं0 645 में दर्ज अपने हिस्सा की कृषि भूमि में से 0.030 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को बेचान की थी और उसका नामान्तरण भी प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में दर्ज भी हो गया, लेकिन प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त बेचान की गई 0.030 है0 कृषि भूमि का नामान्तरण खसरा सं0 676 में भी कर दिया अर्थात् वादी द्वारा बेचान की गई कृषि भूमि का नामान्तरण 645 के साथ 676 में भी कर दिया जो मात्र खसरा सं0 645 में भी होना चाहिए था। इसलिए वादी खाता सं0 88/87 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवाकर उसके नाम दर्ज 0.030 है0 कृषि भूमि का अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करवा कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने का मजाज कानूनी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 के नाम दोनों खसरों 676 व 645 में 0.030–0.030 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी द्वारा बैयनामा के अनुसार खाता सं0 87/80 में से 0.030 है0 कृषि भूमि ही प्रतिवादी सं0 1 को बैय की गई थी इस बाबत प्रतिवादी सं0 1 ने भी प्रस्तुत राजीनामा में स्पष्ट किया है कि मुझ प्रतिवादी गोपीराम ने वादी जयसिंह से खसरा सं0 676 में से कोई कृषि भूमि खरीद नहीं की हुई है इसलिए खसरा सं0 676 में मुझ प्रतिवादी के नाम दर्ज 0.030 है0 हटाकर इसका वादी जयसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/88 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम के नाम दर्ज 0.030 है0 में प्रतिवादी सं0 1 बजाय वादी जयसिंह खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम का नाम कलमजन कर वादी जयसिंह को 0.030 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़